विलोपित विलोपित विलोपित

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्र. III/निग./अशोकनगर/भू.रा./2018/2103

श्री लखनसिंह धाकड़ एड. द्वारा आज दि. 31/03/18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 06/04/18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

लोकेन्द्रनाथ उर्फ सुनील पुत्र रमाशंकर अग्रवाल निवासी सुभाषगंज, अशोकनगर जिला अशोकनगर म.प्र. ....**आवेदक**

बनाम

गौशाला अशोकनगर द्वारा अध्यक्ष ओमप्रकाश चौधरी एडवोकेट निवासी– पुराना बाजार, शंकरजी के मदिर के पास अशोकनगर म.प्र.

.............**अनावेदक**

31/03/18
Lakhan Singh Dhakar
Advocate

<u>आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 न्यायालय तहसीलदार अशोकनगर, जिला अशोकनगर के प्रकरण क्र 1589/बी–121 /16–17 अपील</u> में पारित आदेश दिनांक 17.05.2017 (23/03/18) के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत है :–

आवेदक की ओर से निगरानी आवेदन पत्र निम्नानुसार पेश है :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1. यहकि, आवेदक भूमि सर्वे क्र. 317/3 का राजस्व अभिलेखों में अभिलिखित भूमि स्वामी एवं अधिपत्यधारी है। आवेदक के पिता श्री रमाशंकर अग्रवाल द्वारा लोकेन्द्र के नाम से विकेंता अजुददीबाई से जर्ये रजिर्स्टड विकय पत्र दिनांक 23.03.1964 को कय की थी। तदोपरांत आवेदक लोकेन्द्रनाथ के नाम से राजस्व अभिलेख में इंद्राज हो गया था, आवेदक का उपनाम सुनीलकुमार भी था इसलिये आवेदक ने तत्कालीन तहसीलदार महोदय को एक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि राजस्व अभिलेखों में लोकेन्द्रनाथ उर्फ सुनीलकुमार ... किया जावे। तहसीलदार महोदय

(7)

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक तीन/निग/अशो0/भू.रा./2018/2103

लोकेन्द्रनाथ उर्फ सुनील विरूद्ध अध्यक्ष गौशाला ओमप्रकाश चौधरी एड.

	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11/4/18	प्रकरण में आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री लखन सिंह धाकड़ उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता को प्रकरण में ग्राह्यता एवं स्थगन के बिन्दु पर सुना गया। 2- यह निगरानी तहसीलदार अशोकनगर जिला अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक 1589/बी-121/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 23.03.2018 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गयी है। 3- प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये। उनके द्वारा अपने तर्क में मुख्यत: वही तथ्य दुहराए जो निगरानी मेमो में अंकित हैं जिन्हें यहां दुहराया जाकर लेखबद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों के अतिरिक्त उनके द्वारा यह भी बताया गया कि यदि अनावेदक शिकायतकर्ता के पास कोई ठोस अभिलेखीय साक्ष्य / आधार होते तो वह शिकायत पत्र के साथ भी संलग्न करता किन्तु शिकायत पत्र दिनांक 22.08.17 के साथ ऐसा कोई अभिलेखीय साक्ष्य संलग्न नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी आधार के प्रकरण को पंजीवद्ध कर प्रकरण को प्रचलित किया गया है जो प्रचालन योग्य नहीं है। निरस्त करने का अनुरोध किया गया है तथा तहसीलदार के प्रश्नाधीन आदेश पर स्थगन की मांग की गयी है। 4- प्रस्तुत तर्को एवं निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों के संबंध में प्रश्नाधीन आदेश का अवलोकन किया गया तथा सम्पूर्ण तथ्यों पर विचार किया गया। प्रश्नाधीन आदेश में ऐसा कोई विधिक तथ्य	

प्रकरण क्रमांक तीन/निग/अशो0/भू.रा./2018/2103

उपस्थित नहीं है जिससे किसी भी पक्ष के हित अनुचित रूप से वर्तमान में प्रभावित होने की सम्भावना हो, ऐसी स्थिति में प्रकरण में स्थगन की भी कोई आवश्यकता नहीं है स्थगन आवेदन प्रकरण में पर्याप्त एवं समुचित आधार न होने से निरस्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त आक्षेपित आदेश से भी प्रकरण मात्र आवेदक साक्ष्य हेतु नियत किया गया है जिससे भी किसी पक्ष के हित वर्तमान में अनुचित रूप से प्रभावित होने की कोई सम्भावना नहीं है। तहसीलदार प्रकरण में शीघ्र साक्ष्य लेकर प्रकरण का निराकरण करें। ऐसी स्थिति में प्रश्नाधीन आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्तानुसार यह निगरानी प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। प्रकरण दा.रि.हो।

(डॉ0एम0के0अग्रवाल)
सदस्य